न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः— डॉ. प्रतिभा सिंह,आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—933 / 2025

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
अरविन्दसिंह पुत्र मदनसिंह जाति— हजूरी, निवासी— छड़ी पाड़ा तहसील व जिला जैसलमेर।		1. तहसीलदार, जैसलमेर। 2. श्रीमती सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह जाति— हजूरी, निवासी— छड़ी पाड़ा तहसील व जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा प्रकरण संख्या भू0अ0 / 2025 / 592 निर्णय में दिनांक 13.05.2025 को पारित किया गया

उपस्थिति :—

1. श्री कैलाश सिंह भाटी, अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हेमन्त बालानी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 16 सितम्बर,2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार, जैसलमेर के समक्ष नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 13.9.2021 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता की भाभी श्रीमती किशनीदेवी पत्नी शिवकरणसिंह निवासी— छड़ीदार पाड़ा के नाम एक कृषि भूमि ग्राम रूपसी में खसरा संख्या 17, 18 / 1124 रकबा 75.00 बीघा (12.1350 हैक्टेयर) स्थित है जो श्रीमती किशनी देवी के पति शिवकरणसिंह के नाम से आवंटित हुई थी और शिवकरण सिंह की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि का नामान्तरकरण श्रीमती किशनीदेवी के नाम से दर्ज हुआ। श्रीमती किशनीदेवी का भी दिनांक 27.3.2021 को स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत उसके कोई आल—औलाद / वारिसान नहीं थे। अपीलान्ट के द्वारा श्रीमती किशनीदेवी की सेवा—चाकरी करने से सन्तुष्ट होकर किशनीदेवी द्वारा अपनी मृत्यु

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से पूर्व उक्त कृषि भूमि के संबंध में एक वसीयतनामा दिनांक 20.11.2012 को निष्पादित किया गया, जिसमें उक्त कृषि भूमि का उल्लेख किया गया है और अपीलान्ट उनकी मृत्यु के उपरांत उक्त कृषि भूमि का मालिक जरिये वसीयत के होने से अपीलान्ट द्वारा अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया था, जिस पर तहसीलदार जैसलमेर रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा कार्यवाही न कर रेस्पो0 संख्या 02 से मिलावट करते हुए उनके नाम से नामान्तरकरण संख्या 830 दिनांक 6.12.2024 खोल दिया गया। उक्त नामा0 संख्या 830 के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नंबर 21146/2024 प्रस्तुत की गई, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.1.2025 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार जैसलमेर को निर्देशित किया गया कि अपीलान्ट के डिमाण्ड ऑफ नोटिस का निस्तारण कर व प्रकरण में धारा 135(2) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत् विधि के अनुसार कार्यवाही करें। तहसीलदार जैसलमेर ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2025 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रकरण धारा 135(2) में दर्ज करते हुए पटवारी हल्का रूपसी से रिपोर्ट लेने व दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के आदेश दिनांक 19.2.2025 को दिये। तत्पश्चात पक्षकारान को नोटिस जारी कर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पत्रावली में दिनांक 7.3.2025 नियत की गई। दिनांक 7.3.2025 को अपीलांट ने अपने अधिवक्ता श्री दानसिंह मेहता के मार्फत उक्त नोटिस का जवाब पेश कर संबंधित दस्तावेज की प्रतियॉ उपलब्ध करवाये जाने की प्रार्थना की क्योंकि कानूनन नोटिस के साथ दर्ज प्रकरण की कार्यवाही व दस्तावेज, जो भेजे जाने थे, वो तहसीलदार कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट को नहीं भेजे गये थे। अपीलान्ट के उक्त जवाब को उक्त प्रकरण की आदेशिका में जानबूझकर नहीं लिया गया और न ही जवाब हेतु दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये। इस पर अपीलांट के द्वारा दिनांक 10.3.2025 को नकल हेतु आवेदन भी किया गया, उसके बावजूद उन्हें नकले उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही उनका पत्रावली में कोई उल्लेख तक किया गया और सीधे ही दिनांक 11.3.2025 को रेस्पो0 संख्या 2 की उपस्थिति बताते हुए उनके बयान दर्ज करना बताया गया। अपीलान्ट को उक्त बयान पर कानूनन जिरह का कोई अवसर भी नहीं दिया गया और न ही नकल दी गई और प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये आवेदन दिनांक 7.3.2025 को जानबूझकर उस दिनांक को पत्रावली पर नहीं लेकर दिनांक 11.3.2025 को पत्रावली में

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

लिया गया, जो रेस्पोडेंटगण की मिलीभगती व अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से उपरोक्त विधिविरूद्ध कार्यवाही की गई। दिनांक 11.3.2025 के पश्चात् पत्रावली में सीधे दिनांक 13.5.2025 को निर्णय पारित करना आदेशिका में दर्शित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही अपीलांट के पीठ पीछे और बाला–बाला की गई है। अपीलांट के द्वारा जब दिनाक 23.6.2025 को लिखित में आवेदन पेश कर उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जा रही है, की जानकारी चाही गई और आज तक नकले नहीं देने आदि का तथ्य पेश किया गया तब रेस्पोडेंट संख्या एक तहसीलदार कार्यालय के द्वारा पत्रावली मंगाकर बताया गया कि उक्त पत्रावली दिनांक 13.5.2025 को निर्णित हो गई है जिस पर अपीलान्ट के द्वारा पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.06.2025 को आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार कार्यालय के द्वारा प्रमाणित नकले उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार उक्त दिनांक 24.6.2025 को प्रथम बार अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि पत्रावली दिनांक 13.05.2025 को निर्णित कर दी गई है एव प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित किया जा चुका है। तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.06.2025 को प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत मय शपथपत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2025 के अनुसार यह कथन किया गया कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज प्रकरण के सम्बन्ध में दिनाक 23.6.2025 को लिखित में आवेदन पेश कर उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जा रही है, की जानकारी चाही गई और आज तक नकले नहीं देने आदि का तथ्य पेश किया गया तब रेस्पोडेंट संख्या एक तहसीलदार कार्यालय के द्वारा पत्रावली मंगाकर बताया गया कि उक्त पत्रावली दिनांक 13.5.2025 को निर्णित हो गई है, जिस पर अपीलान्ट के द्वारा पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.06.2025 को आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार कार्यालय के द्वारा प्रमाणित नकले उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के बारे में प्रथम बार दिनांक 24.6.2025 को अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि पत्रावली दिनांक 13.05.2025 को निर्णित कर दी गई है। ऐसे में उक्त जानकारी की तिथी से 30 दिवस की अवधि में यह अपील पेश की जा रही है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जायें। अपीलान्ट के द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा विरोध प्रकट किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम दिनांक 27.6.2025 को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह भी अभिकथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा पारित निर्णय विधि व कानून के विपरीत है क्योंकि अभिलेख संचिका के विरूद्ध तथा नैसर्गिक न्याय व प्राकृतिक न्याय सिद्धातों के विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 7.3.2025 को उपस्थित होने व जवाब पेश करने हेतु जारी नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट अपने अधिवक्ता के साथ दिनांक 7.3.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा नकलों हेतु आवेदन पेश किया किन्तु उक्त पत्रावली में दिनांक 7.3.2025 को किसी कोई कार्यवाही आदेशिका में नहीं की गई थी और न ही उक्त तारीख की कोई आदेशिका पत्रावली में अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को रेस्पो0 संख्या 2 उपस्थित ही नहीं आई थी, जबकि अपीलांट उपस्थित था। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही कोई अगली तारीख नियत की गई और अधीनस्थ न्यायालय ने स्वेच्छा से बिना किसी सूचना के दिनांक 11.3.2025 को रेस्पोडेंट संख्या 2 के किसी प्रकार के नोटिस के जवाब दिये बिना ही, सीधे बयान लिये गये और उस पर अपीलांट को जिरह करने का कोई अवसर तक नहीं दिया गया और न ही अपीलांट के आवेदन दिनांक 7.3.2025 में वांछित दस्तावेजों की नकले उपलब्ध कराई गई और न ही अपीलांट के आवेदन का किसी तरह से कोई निस्तारण ही किया गया। इस प्रकार आलौच्य आदेश में की गई कार्यवाही साफतौर पर मिलीभगत से की हुई है, जो कि निरस्त करने योग्य है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि पत्रावली से प्राप्त प्रमाणित नकलों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि दिनांक 11.3.2025 को रेस्पोडेंट संख्या 2 के बयान टाईप से लेना बताया गया है, जो कानूनन बयानों की तारीफ में ही नहीं

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आते है क्योंकि उक्त बयानों का कहीं पर भी विधि के अनुसार सत्यापन किया होना दर्शित नहीं है और न ही विधि के अनुसार सशपथ बयान होकर विधि के अनुरूप तस्दीकसुदा है। केवल धारा 135(2) में बयान टंकित होकर शपथकर्ता का अंगुष्ठ दर्शित है, लेकिन शपथकर्ता की कोई पहचान अथवा पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज अथवा उसके पहचानकर्ता के हस्ताक्षर तक नहीं है। केवल पहचान हेतु उपस्थित महिला का फोटो खींचकर फाईल में संलग्न करना ऑफिस कानूनगो, जैसलमेर द्वारा हस्ताक्षरित है। प्रकरण में कहीं पर भी तहसीलदार द्वारा उक्त कथित बयानों को उनकी मौजूदगी में देना, जिसे उनके द्वारा सुन–समझकर सही होना मानकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये हो, आर. ओ. एण्ड ए.सी. लिखकर तहसीलदार कोई हस्ताक्षर तक भी नहीं है। इस प्रकार कथित बयान सशपथ विधि के अनुसार बयानों की कानूनन परिधि में नहीं आने से उस पर कानूनन विश्वास नहीं किया जा सकता हैं, जिस पर विश्वास करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बड़ी व कानूनी वाक्याती भूल की है बल्कि विधिविरूद्ध एकतरफा मानस से उसे मानने में त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कोई भी बयान विपक्षी पक्षकार को नकल देकर उस पर जिरह अर्थात् क्रोस एक्जामिनेशन करवाये बिना कानूनन नहीं पढ़े जा सकते तथा बिना किसी जवाब के बयान नहीं लिये जा सकते और उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 2 के द्वारा तहसीलदार जैसलमेर की ओर से भेजे गये नोटिस व दर्ज प्रकरण का कोई जवाब तक भी नहीं दिया गया तो सीधे बयान लेना भी विधिविरूद्ध एवं कागज के टुकड़े के समान है। इस कारण से उक्त आदेश काबिल अपास्त है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि नियत दिनांक 7.3.2025 को कोई सुनवाई नहीं की गई और उसके बाद आगामी सुनवाई हेतु कोई तारीख तक नियत नहीं की गई, सीधा दिनांक 11.3.2025 को आदेशिका लिखी गई, वह भी एक ही दिन में 2 बार और उसके बाद भी प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई तारीख नियत ही नहीं की गई और दिनांक 13.5.2025 को सीधे ही निर्णय कर दिया गया। उक्त कार्यवाही रेस्पोडेंटस् ने आपसी मिलीभगत कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय के बावजूद एकतरफा कार्यवाही कर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जो काबिल अपास्त है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त निर्णय में हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जो दिनांक 25.2.2025 के आदेश की पालना में दिया जाना वर्णित किया गया है। उक्त रिपोर्ट पत्रावली में कब प्राप्त हुई और कब शामिल की गई, का अंकन तक नहीं किया गया है और पटवारी ने किस आधार पर मृतक की एकमात्र उत्तराधिकारी बहन श्रीमती सूरजदेवी का होना अंकन किया गया है, जो कानूनन नैसर्गिक उत्तराधिकारी ही है, के संबंध में कोई वर्णन ही नहीं है और ऐसे उत्तराधिकारी का प्रमाण–पत्र कानूनन हल्का पटवारी द्वारा दिया ही नहीं जा सकता था बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट को रेकर्ड पर लिये बिना ही एवं अपीलांट को बिना सुने ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आवेदन पर तहसीलदार जैसलमेर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर दिनांक 28.10.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें वादग्रस्त संपति पर कब्जा, काश्त अपीलांट अरविन्दसिंह का होना बताया गया था। उक्त कब्जा रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल किये बिना एवं रिपोर्ट पर विश्वास किये बिना व रेकर्ड पर जानबूझकर लिये बिना मिलीभगती से विधिविरूद्ध व रेकर्ड के विपरित आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जो काबिल अपास्त है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् वसीयत के गवाहान को बयान देने हेतु नोटिस नहीं भेजे गये बल्कि वर्ष 2021 के नोटिसों को मानकर ही बदनियती से एकतरफा मानस बनाकर निर्णय पारित करने के उद्धेश्य से उक्त पत्रावली में केवल वर्ष 2021 में नोटिस देना बताकर और उल्लेखित वसीयत को न मानने का कोई कारण तक पत्रावली में दर्शित नहीं किया, उक्त वसीयत को केवल गवाहान के द्वारा इंकार करने के कथन होना बताकर वसीयत झूठी एवं फर्जी प्रतीत होना, गलत तौर से विवेचित कर दिया गया है जो विधिविरूद्ध होने से काबिल अपास्त है। अगर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत प्रस्तुत हुई थी तो तहसीलदार जैसलमेर का दायित्व था कि वे उक्त वसीयत के सम्बन्ध में विधि के अनुसार यथोचित निर्णय लेते। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि के विपरीत होने से काबिल अपास्त है।

सम्मानीय आयुक्त
जोधपुर

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वसीयत के संबंध में गवाहान के बयानों का शपथ पत्र बाबत् विवेचन किया है और उस पर विश्वास किया है जो विधिविरूद्ध होने से काबिल अपास्त है क्योंकि कथित शपथ पत्र केसर पत्नी लाभूसिंह द्वारा दिया गया हो, ऐसा दर्शित नहीं है और न ही उक्त शपथ पत्र कानून की परिधि में आता है क्योकि शपथकर्ता के शपथ पत्र में पद संख्या 2 के बाद कोई हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान नहीं है और न ही तस्दीक में जो कथित अंगुष्ठ बताया है, वह निशान अंगुष्ठ शपथकर्ता केसर का है, ऐसा अंकन तक नहीं है और न ही उक्त शपथ पत्र नोटेरी से विधि के अनुसार तस्दीकशुदा है क्योंकि नोटेरी ने केवल सिग्नेचर अटेस्टेड लिखा है, कहीं पर भी थम्ब इम्प्रेशन अटैस्टेड अंकन नहीं किया है तथा न ही उस पर कानूनन नोटेरी टिकट चस्पा है और न ही नोटेरी रजिस्टर में इन्द्राज का कमांक तक दर्ज है। इस कारण से उक्त दस्तावेज न तो शपथ पत्र की परिधि में आता है और न ही तस्दीक की परिधि में आता है और न ही उक्त शपथ पत्र किसके द्वारा, किसके समक्ष पेश किया गया, शामिल पत्रावली किया गया, आदि तथ्यों का उल्लेख अंकित है। इस प्रकार ऐसे शपथ पत्र पर विश्वास कर वसीयत को झूठी एवं फर्जी होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी वाक्याती भूल की है।

9. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वसीयत के संबंध में गवाहान के बयानों के शपथ पत्र बाबत् विवेचन किया गया है और उस पर विश्वास किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से काबिल अपास्त के है क्योंकि कथित शपथ पत्र सुरेश पुत्र किशनाराम द्वारा दिया गया हो, ऐसा दर्शित नहीं है और न ही उक्त शपथ पत्र कानूनन शपथ पत्र की परिधि में आता है न ही इसका रजिस्टर में इन्द्राज है न ही नोटेरी टिकट चस्पा है। अपीलान्ट के द्वारा गवाह सुरेश कुमार पुत्र किशनाराम को उक्त कथित शपथ पत्र की नकल दिखाई गई तो उसने स्पष्ट कहा कि उसने ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं दिया और यदि पेश किया है तो फर्जी हस्ताक्षरों से पेश किया गया है क्योंकि उसने ऐसे किसी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये, वह न तो नोटेरी के समक्ष गया और न ही स्टाम्प खरीदा। उक्त गवाह सुरेश ने अपीलांट की वसीयत की ताईद में शपथ पत्र पेश किया था जिस बाबत् कोई विवेचना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है और उस संबंध मे साक्ष्य सबूत, बयान का अवसर तक अपीलांट को नहीं दिया। वादग्रस्त भूमि

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बाबत् मृतक खातेदार श्रीमती किशनीदेवी ने अपीलांट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी जो वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी और वसीयत के गवाहान के संबंध में जो कथित शपथ पत्र पेश किये है वे विधिविरूद्ध है तथा गवाह सुरेश का शपथ पत्र भी फर्जी हस्ताक्षरों से बनाकर पेश किया है जिसे मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है तथा हल्का पटवारी के द्वारा मृतक की एकमात्र वारिस श्रीमती सूरजदेवी को बताया है। अपीलांट के पिता के द्वारा अन्य संपति बाबत् सिविल वाद संख्या 6/2024 सूरज देवी (रेस्पोडेंट) वगेरा के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर में दर्ज करवा रखा है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 02 सूरज देवी ने अपने पुत्र किशोरसिंह को दीनदयाल की पत्नी सोनी बाई द्वारा रजिस्टर्ड गोद पत्र के जरिये गोद लेना बताया है जो दस्तावेज 12/79 पुस्तक संख्या 3 में दिनांक 24.10.1979 को पंजीकृत है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उक्त सिविल प्रकरण में किशोर सिंह को दीनदयाल के गोदपुत्र होने के कारण दीनदयाल की संपतियों का वारिस बताया है अर्थात् शिवकरण जो कि दीनदयाल के जाईंदा पुत्र है, का किशोरसिंह गोद होने के कारण शिवकरण का भाई हुआ। इस प्रकार रेस्पोडेंट सूरजदेवी, जो किशोरसिंह की जाईंदा माता है, दूसरी तरफ गोद पुत्र बताने से अपने पुत्र किशोरसिंह की माता सूरजदेवी बहन होना बताती है, ने अपने आपको अलग–अलग जगह पर अलग–अलग तौर से वारिस बताते हुए तथ्य न्यायालय से छिपाये है तथा किशोरसिंह ने एक तरफ अपने जाईंदा पिता कल्याणसिंह जो कि रेस्पाडेंट संख्या सूरज के पति है, की संपति में ग्राम धउवा खाता संख्या 10 में पुत्र की हैसियत से 1/5 हिस्सा प्राप्त होना बताया है जो वर्ष 2017 का है, दूसरी तरफ दीनदयाल के गोद बताते हुए सिविल वाद में जवाब मय उक्त गोदनामा दस्तावेज पेश कर अपने को गोद पुत्र बताया है। इस प्रकार पटवारी ने गलत रूप से संपूर्ण जांच किये बिना ही एकतरफा व विधिविरूद्ध रिपोर्ट तैयार कर पेश की है और ऐसी रिपोर्ट रेस्पोडेंट स्वयं के जवाब से गलत प्रकट होती है और रेस्पोडेंट संख्या 02 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आई है और सही तथ्यों को छिपाकर मिलावटी कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय से आलौच्य निर्णय पारित करवाया है जो काबिल अपास्त है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैसलमेर के निर्णय दिनांक 13.5.2025 को निरस्त किया जायें। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेजों

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की प्रतियां पेश की गई तथा न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1967 तथा आरआरडी, 2002 पेज 280 पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

10. प्रत्युतर में रेस्पो. सं0 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैसलमेर के समक्ष दिनांक 16.07.2022 को एक प्रार्थनापत्र पेश करते हुए निवेदन किया था कि उनकी भाभी श्रीमती किशनीदेवी पत्नि स्व0 शिवकरण सिंह का दिनांक 27.03.2021 को देहान्त हो चुका है तथा श्रीमती किशनीदेवी उन पर ही आश्रित रही थी और उनका भरण पोषण उनके द्वारा ही किया जाता रहा है तथा उनके कोई आल–औलाद नहीं हुई थी। उनके देहान्त के उपरान्त रेस्पो0 संख्या 2 उनकी इकलौती और एकमात्र वारिस है। उनकी समस्त अचल व चल सम्पति की एकमात्र वारिस है तथा उनके नाम से ख0सं0 17, 18/1124 रकबा 12.1350 हैक्टर भूमि ग्राम रूपसी तहसील जैसलमेर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की एकमात्र उत्तराधिकारी श्रीमती सूरजदेवी होने से उक्त भूमि का नामान्तरकरण उनके नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

11. रेस्पो. संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न एक वारिसनामा मय शपथपत्र भी पेश किया गया जिसमें उक्त तथ्यों का विवरण अंकित किया गया था, जो नोटिस नजदीक करवा कर पेश किया गया था। साथ ही वार्ड पार्षद की ओर से जारी वारिस प्रमाण पत्र भी संलग्न पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में दिनांक 28.10.2022 को पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का के द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये गये थे कि श्रीमती किशनीदेवी पत्नी शिवकरण की मृत्यु हो जाना तथा खातेदार के पति शिवकरण को उक्त भूमि आवंटित होना अंकित किया गया था। साथ ही शिवकरण के फौत होने से उनकी पत्नि के नाम नामा0 संख्या 58 दिनांक 11.4.1966 दर्ज होने तथा नामा0 संख्या 74 दिनांक 31.12.1978 के द्वारा किशनीदेवी को खातेदारी दी जाना अंकित किया गया था। दिनांक 27.3.2021 को किशनीदेवी की मृत्यु हो जाना दर्शाया तथा एकमात्र बहन सूरजदेवी पत्नि कल्याणसिंह होना बताया। मौके के सम्बन्ध में अपीलान्ट अरविन्दसिंह की उपस्थिति दर्शाते हुए मौके पर निर्माण हुए होना बताया। साथ ही अरविन्द सिंह के द्वारा बताया गया कि उनके पक्ष में उक्त खातेदारी भूमि की अपंजीबद्ध

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वसीयत श्रीमती किशनीदेवी के द्वारा कर रखी है तथा किशनीदेवी की वसीयत के अनुसार अपने नाम नामा0 दर्ज करने हेतु आवेदन कर रखा है।

12. रेस्पो. संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट अरविन्द सिंह के द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के अनुसार वादग्रस्त भूमि का नामा0 दर्ज करने हेतु दिनांक 13.09.2021 को पूर्व में प्रस्तुत किये गये आवेदन के कम में दिनांक 12.02.2025 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 21146/2024 प्रस्तुत की गई थी, उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2025 की प्रति दिनांक 12.02.2025 को अपीलान्ट के द्वारा पेश करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये तथा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो पटवारी हल्का के द्वारा पेश की गई। रेस्पो0 संख्या 2 को जारी उक्त नोटिस के कम में रेस्पो0 संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थी तथा अपीलान्ट को भी सुनवाई एवं जवाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट में खातेदार श्रीमती किशनीदेवी के पति शिवकरण के वारिसान के रूप में एकमात्र बहन सूरजदेवी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 02 का होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मुझ रेस्पो0 संख्या 2 के बयान तथा वसीयत में दिये गये गवाहों के बयान इत्यादि लिये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन को न मानते हुए यानि उल्लेखित वसीयत के अनुसार उक्त भूमि का नामा0 उनके पक्ष में दर्ज करना उचित नहीं मानते हुए मुझ रेस्पो. सं0 02 सूरजदेवी को एकमात्र वारिस मानते हुए मेरे पक्ष में उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 को पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से उचित होने तथा विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

13. रेस्पो. संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जो कथित वसीयत दस्तावेज पेश किये गये थे, वो मात्र एक साधारण पेपर पर लिखी हुई है तथा वह वसीयत न तो नोटेरी से तस्दीक करवाई हुई और न ही पंजीकृत करवाई हुई है, मात्र दो तथाकथित व्यक्तियों की साख दर्शा कर लिखावट तैयार की गई

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है जिसे कानूनी रूप से कोई विधिक स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त साख करने वाले व्यक्ति भी संदेहास्पद है। अपीलान्ट को उक्त तथाकथित वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करवाया जाना चाहिये था ताकि उसकी सत्यता आंकी जा सके। बिना विधिक अधिकार के अपीलान्ट उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से न तो हक अधिकार जता सकता है और न ही कोई अधिकार स्वामित्व सम्बन्धी प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाये तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 को यथावत रखा जावें। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 4602/2001 निर्णय दिनांक 23.7.2007, एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 13448/2022 निर्णय दिनांक 23.9.2022, आरआरडी 1967 तथा आरआरडी, 2002 पेज 280 इत्यादि पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया। एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4602 निर्णय दिनांक 23.7.2007 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र जीवित विधिक वारिस ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है और उसके पक्ष में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सही है।

14. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि तहसीलदार, जैसलमेर के समक्ष ग्राम रूपसी तहसील जैसलमेर के ख0सं0 17,18/1124 रकबा 12.1350 हैक्टर भूमि की खातेदार श्रीमती किसनीदेवी पत्नी शिवकरण सिंह निवासी– छड़ीदार जिला जैसलमेर के दिनांक 27.03.2021 को देहान्त होने पर उनकी उक्त खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण एकमात्र उत्तराधिकारी उनके पति शिवकरण सिंह की बहन श्रीमती सूरज देवी पत्नी कल्याणसिंह के नाम दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.5.2025 को पारित किया गया है।

15. अपीलान्ट के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस आधार पर पेश की गई है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदार श्रीमती किसनीदेवी के द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 20.11.2012 को एक अपंजीकृत वसीयत निष्पादित की गई है। उक्त वसीयत के आधार पर उनके द्वारा तहसीलदार जैसलमेर के समक्ष दिनांक 13.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमती किसनीदेवी के नाम दर्ज भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण करने हेतु आवेदन किया गया था परन्तु तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त वसीयतनामें को फर्जी होना मानते हुए उक्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पो0 संख्या 02 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया गया है कि तहसीलदार जैसलमेर के समक्ष रेस्पो0 संख्या 02 के द्वारा दिनांक 29.4.2021 को खातेदार किशनीदेवी पत्नी शिवकरण सिंह के दिनांक 27.3.3021 को देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादग्रस्त भूमि की एकमात्र उत्तराधिकारी वारिस होने के आधार पर भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये गये। अपीलान्ट अरविन्दसिंह की ओर से प्रस्तुत उक्त अपंजीकृत वसीयतनामें में साख डालने वाले व्यक्ति श्री सुरेश पुत्र किशनाराम एवं केशर पत्नी लाभूसिंह को व्यक्तिगत गवाही हेतु तलब किया गया जिस पर उक्त गवाहान के द्वारा उक्त वसीयत में लिखवाई गई इबारत को उनकी जानकारी में नहीं होने तथा गवाहान से वसीयत पर पड़ौसी होने के नाते हस्ताक्षर करवाये जाना तहसीलदार के समक्ष उल्लेखित किया गया। तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा उक्त गवाहान के बयानों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार कथित वसीयत से इन्कार किये जाने के आधार पर उस वसीयत को फर्जी होना माना गया।

17. तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई, उक्त रिपोर्ट दिनांक 28.10.2022 में पटवारी हल्का के द्वारा खातेदार श्रीमती किशनीदेवी के पति शिवकरण की बहन श्रीमती सूरजदेवी पत्नी कल्याण सिंह को एकमात्र नैसर्गिंक उत्तराधिकारी होना बताया गया । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना पक्ष रखे जाने, गवाह पेश किये जाने तथा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना भी पत्रावली से स्पष्ट प्रकट होता है। यहॉ हम विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस् के इन तर्को से सहमत है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.01.2025 में के अनुसार तथ उपलब्ध तथ्यों के अनुसार रेस्पो0 संख्या 02 शिवकरण सिंह की बहन है, वह नैसर्गिंक उत्तराधिकारी है तथा नैसर्गिक उत्तराधिकारी के विरूद्ध घोषणा के दावे के माध्यम से ही कोई कार्यवाही हो सकती है, टाईटल का विवाद नामान्तरकरण के जरिये तय नहीं कराया जा सकता है। रेस्पो0 संख्या 2 मृतका किसनीदेवी के पति शिवकरण सिंह की द्वितीय श्रेणी की

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उत्तराधिकारी है, मृतक भाई की सम्पति पर बहन के द्वितीय श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के नाते अधिकार है। तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समरी इंक्वायरी की गई थी तथा जॉच करने के बाद ही मृतक खातेदार किशनीदेवी पत्नी शिवकरण की उक्त वादग्रस्त भूमि को रेस्पो0 संख्या 02 श्रीमती सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह के नाम नामान्तरकरण किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 को पारित किया गया है।

18. अपीलान्ट को तहसीलदार जैसलमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की जानकारी रही है एवं उन्हें सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर भी दिया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में धारा 135 (2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो कार्यवाही निष्पादित की गई है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है, तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

19. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर